न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

राजस्व वाद संख्या 64 /2014

1. रामचन्द्र पुत्र बृजूराम
2. मु. सिमकोरी पत्नी स्व. हरफूलराम
3. अनिल कुमार पि0 स्व. हरफूलराम
4. सुनिल कुमार

} जाति जाट साकिन पीपेरां।

–वादीगण–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार लूनकरनसर

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–
1 श्री लालचन्द जाट वादी की ओर से
2 पैरोकार राज स्टेट की ओर से

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88,89,92क,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक :–28.10.2022

पत्रावली आज पेश हेतु प्रार्थना पेश करने पर पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित अवलोकन किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92क,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट के तहत जरिये अधिवक्ता वादी निवेदन किया गया कि मौजा रोही भेम मलकीसर के पुराना खसरा नम्बर 66 मिन तादादी 36.08 बीघा व खसरा नम्बर 62 मिन तादादी 30 बीघा भूमि तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 05–06–1961 को आवंटन कर भौतिक रूप से कब्जा एवं दखल दिया था तब से वादीगण का उपरोक्त भूमि पर निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा एवं काश्त चला आ रहा हैं।

आवंटन के बाद उपरोक्त वादगत भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2ता4 के पिता/पत्नि के नाम बहिब दर्ज होकर लगान कायम हुआ जो वादीगण के पिता /पति द्वारा अदा की गई हैं इस प्रकार वादीगण वादगत भूमि के स्वीकृत काश्तकार हैं।

रौही मौजा भोममलकीसर में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत 2017 से 2025 के मध्य बन्दोबस्ती कार्यवाही करके पुराना खसरा नम्बर 62 मिन के नये खसरा नम्बर 111 व पुराना खसरा नम्बर 66 मिन के नये खसरा नम्बर 126 बनाकर मिसल बन्दोबस्त तैयार की गई तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2026 से 2029 में खसरा नम्बर 111/13 तादादी 30 बीघा खसरा नम्बर 126/14 तादादी 36 [illegible] बिस्वा भूमि वादीगण के पति/पिता के नाम दर्ज की गई [illegible] कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादगत भूमि सम्वत 2027 में उपनि[illegible] उपनिवेशन विभाग द्वारा वादीगण संख्या 1 व 2ता 4 के [illegible] खसरा नम्बर 126/14 तादादी 32.18 बीघा व नया खसरा नम्बर 111/13 की 3[illegible] बीघा भूमि पुनः आवंटन 1970 से 1973 तक टीसी पर आवंटन कर कब्जा दे दिया गया बाद में खसरा नम्बर 126/14 की 32.18 बीघ चक बन्दी में आ गई जो अन्य को आवंटन हो गई खसरा नम्बर 111/13 नया 111/6 तादादी 33 बीघा पर आवंटन की दिनांक से वादीगण के निरन्तर कब्जाकाश्त में चला आ रहा हैं। लेकिन उपनिवेशन विभाग द्वारा वादीगण के पूर्वजों में बिना कोई नोटिस दिये व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2023.02.13 15:33:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

अवसर प्रदान किये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अराजीराज दर्ज कर दीह गई। उपनिवेशन नियम द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण अवैध एवं शुन्य है जिसे निष्प्रभावी घोषित कराने की वादीगण हकदार हैं।

इस प्रकार वाद पेश कर रोही मौजा भोम मलकीसर के खसरा पुराना 62 मिन नेये खसरा नम्बर 111/6 की तादादी 33 बीघा वादीगण के पिता/पति को विधिवत आवंटन होने खातेदारी अधिकार प्रदान कर राजस्व रिकार्ड अराजीराज के स्थान पर उपने नाम दुरूस्त करवाने हेतु वाद पेश किया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी स्टेट को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार राज ने जवाब दावा पेश कर वाद पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार किया।

जवाब दावा एवं वादपत्र के आधार पर निम्न प्रकार तनकीयात कायम कि गई–

1. आया की मौजा रोही भौम मलकीसर के पुराना खसरा नम्बर 62 में बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 111 मिन बट्टा नम्बर 111/6 तादादी 33 बीघा पुरानी विधिवत आवंटित होने से वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के एवं खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।
2. आया की उपनिवेशन विभाग द्वारा वादीगण को विधिवत आवंटित भूमि को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आराजीराज दर्ज किया है। जो वादीगण के अधिकारों के समक्ष अवैध शुन्य एवं निष्प्रभावी हैं।
3. आया की वादीगण वादगत भूमि बाबत प्रतिवादी के विरूद्ध चिरस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार हैं।
4. आया की वादगत भूमि आराजीराज दर्ज हैं एवं खाली है तथा मौके पर वादीगण का कब्जा नहीं हैं। अतः वाद खारिज योग्य हैं।
5. आया की वादीगण धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में वाद खारिज योग्य हैं।
6. दादरसी।

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

उपरोक्त कायम की गयी तनकीयान में 1 ता 3 को साबित करने का भार वादीगण पर एवं 4 व 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी के जिम्मे रखा गया हैं।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में फोटो स्टेट कॉपी पट्टा टीसी आवंटन पेश किया जो प्रदर्श 1ए हैं। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 , खसरा गिरदावरी सम्वत् 2067 से 2070 , प्रदर्श 19 गिरदावरी संवत् 2018 से 2021 , प्रदर्श 3 खसरा नम्बर 62/9 व खसरा नम्बर 66 की पेश की हैं तथा खसरा गिरदावरी लगान रसीद, गिरदावरी स्लीप की प्रति पेश की है जो प्रदर्श 4 से प्रदर्श 19 ए पेश की हैं। बतौर मोखिक साक्ष्य शपथ पत्र रामचन्द्र वादी स्वयं का , ओमप्रकाश पुत्र रावतराम व मुखराम पुत्र गोपीराम के शपथ पत्र पेश किये जिन पर जिरह पैरोकार राज की गयी । प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी बन्द की जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।

सर्वप्रथम वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री [illegible] जाट ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया की वादगत भूमि वादीगण के पिता/पति को दिनांक 05.06.1961 को विधिवत आवंटन हुई थी। रोही मौजा भोम मलकीसर के खसरा नम्बर 66 मिन [illegible] 32.18 बीघा व 62 में 30 बीघा कुल 62.18 बीघा का रिकॉर्ड में अंकन हैं। उक्त भूमि का सम्वत 2017 से 2025 के दौरान भू–प्रबन्ध हुआ जिसमें खसरा नम्बर 66 के खसरा नम्बर 126/14 व 62 मिन के खसरा नम्बर 111/13 बनाये गये जिन पर वादगण के पिता/पति का निरन्तर कब्जाकाश्त चलता रहा । सम्वत 2027 में उक्त रकबा उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो जाने पर टीसी (अस्थाई आवंटन एकसाला) वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 ता 4 के पिता/पति के नाम हुआ। जिसका सम्वत् 2029 तक नवीनीकरण होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2023.02.13 15:33:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

रहा । सम्वत् 2030 में उक्त रकबा मे से खसरा नम्बर 126/14 की 32.18 बीघा भूमि स्कीम में आने से किला नं. व मुरबा नम्बर में फिट होकर अन्य को आवंटित कर दी गयी जबकी खसरा नम्बर 111/13 जिसके उपनिवेशन में बार–बार टिसी आवंटन के आधार पर बट्टा नम्बर में परिवर्तन होता रहा । खसरा नम्बर 111/6 की 33 बीघा भूमि को बिना किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान किये मनमाने तौर पर आराजीराज घोषित कर दिया गया। वादीगण उक्त वादगत भूमि खसरा नम्बर 111/6 हाल बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 233 तादादी 4.96 हैक्टेयर व हाल बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 249 तादादी 1.36 हैक्टेयर कुल तादादी 6.32 हैक्टेयर पर निरन्तर काबिज हैं। वादीगण को प्रथम बार सन् 2014 में पटवारी हल्का द्वारा मना करने की यह जमीन सरकारी है इस पर सूड़ मत करो तब हमने तुरन्त नकल प्राप्त बिना 80 सीपीसी नोटिस के दावा पेश किया ।उपनिवेशन विभाग द्वारा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधिवत आवंटित भूमि जिसका नवीनीकरण समय–समय पर होता रहा ।चकों में भूमि आने से खसरा नम्बर 126/14 की भूमि के साथ स्कीम से बाहर बारानी भूमि को मनमाने तरीके से अराजीराज दर्ज कर दिया । वादीगण राज्य सरकार के स्वीकृत काश्तकार है। लगान अदा किया है जिसकी रसीदे पेश की हैं। वादीगण की भूमि को उपनिवेशन विभाग ने बिना अधिकार क्षेत्र के आराजीराज दर्ज की है जो अवैध एवं शुन्य हैं। इसलिये वादीगण वादगत भूमि के खातेदारी हकों की घोषणा कराने के मुश्तहक हैं तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज की जगह अपने नाम अंकन कराने के हकदार हैं। अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जावे तथा चिरस्थायी स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी जारी फरमायी जावे।

वादीगण की बहस के प्रति उत्तर में पैरोकार राज की बहस है कि वादीगण के पिता/पति को रोही भोम मलकीसर के पुराना खसरा नम्बर 66 व 62 मिन में आवंटन होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता हैं। पुराना खसरा नम्बर 66 मिन के भू प्रबन्ध विभाग के खसरा नम्बर 126/14 की 32.18 बीघा व खसरा नम्बर 62मिन की 30.0 बीघा उपनिवेशन क्षेत्र में आ जाने पर 126 /14 की भूमि चकों में आजाने पर अन्य को आवंटन हो गयी । इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं कि किसे आवंटन हुई । खसरा नम्बर 111/13 की 30 बीघा भूमि को उपनिवेशन विभाग के नियमों अनुसार अराजीराज दर्ज की गयी हैं। उपनिवेशन विभाग में प्रति वर्ष नवीनीकरण करने का प्रावधान था । वादीगण के पति/पिता द्वारा नवीनीकरण हेतु पट्टा पेश नहीं करने पर नोटिस बिना ही आराजीराज दर्ज किया जा सकता था। उपनिवेशन विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आराजीराज दर्ज किया है। पैरोकार राज ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वादीगण के पिता/पति को खसरा नम्बर 111/13 में 30 बीघा टीसी आवंटन था जबकि जमाबन्दी खसरा नम्बर 111/6 की पेश की हैं। खसरा नम्बर 111/13 किसके नाम आवंटन अथवा अराजीराज है कोई साक्ष्य प्रदर्श नहीं कराया हैं। अतः वादीगण का वाद साबित नहीं होता लिहाजा वादपत्र वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी ने पैरोकार राज की खसरा नम्बर 111/13 की 30 बीघा व 111/6 की 33 बीघा के कथन का प्रतिवाद करते हुवे कहा कि उपनिवेशन विभाग में बट्टा नम्बर बार'–बार टीसी आवंटन किया जाता है जिसमें बट्टा नम्बर परिवर्तन होते रहते हैं। बट्टा नम्बर 13 व 6 हो सकते है। जबकि मूल खसरा नम्बर 111 है । जिस पर वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त है जो राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित हैं। तथा वर्तमान में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादगत भूमि खसरा नम्बर 111/6 के नये बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 233 तादादी 4.96 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 249 तादादी 1.36 हैक्टेयर बनाये है जिसका नक्शा जमाबन्दी एवं ईन्तकाल की प्रति पेश की हैं। इसलिये वादीगण का दावा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित है। अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2023.02.13 15:33:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

हमने बहस उभय पक्ष सुनी गयी । दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । तनकी संख्या 1 ता 3 वादीगण को साबित करनी हैं। तनकी संख्या 1 के समर्थन में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1ए से 19ए एवं हाल बन्दोबस्ती खसरा नम्बर की जमाबन्दी इन्तकाल एवं नक्शा से बखूबी साबित हैं कि वादगत भूमि वादीगण को विधिवत आवंटित एवं कब्जा काश्त की भूमि है जिस पर वादीगण का संवत् 2019 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित हैं। अतः तनकी संख्या 1 बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती हैं एवं वादीगण को वादगत भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त काबिज काश्तकार की धोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादगत भूमि अराजीराज की जगह वादीगण के नाम दर्ज करने की डिक्री जारी की जाती हैं।

तनकी संख्या 2 वादीगण को साबित करनी हैं राज्य सरकार के आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार वादगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज करनी थी लेकिन उक्त आदेशों के विरूद्ध जाकर रकबाराज किया है जो अवैध एवं शुन्य हैं। जो वादी के हकों के विरूद्ध निष्प्रभावी हैं।

तनकी संख्या 3 वादीगण को साबित करनी हैं वादीगण का वादगत भूमि पर निरन्तर कब्जा एवं काश्त हैं जिसकी ताईद वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तावान रसीदों से होती हैं। इस लिये तनकी संख्या 3 बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 4 प्रतिवादी को साबित करनी है प्रतिवादी का कथन है कि वादीगण का वादगत भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है जबकि गिरदावरी 2067 से 2070 प्रदर्श 19ए एवं तावान रसीद प्रदर्श 11ए से बखूबी साबित है कि वादगत भूमि पर वादीगण का कब्जा एवं दखल है । इसलिये तनकी संख्या 4 बहक खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती हैं एवं तनकी संख्या 5 प्रतिवादी द्वारा साबित नहीं करने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर एव प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि मोजा रोही भोम मलकीसर के खसरा नम्बर 233 तादादी 4.96 हैक्टेयर खसरा नम्बर 249 तादादी 1.36 हैक्टेयर कुल तादादी 6.32 हैक्टेयर के वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त काश्तकार है की घोषणा की जाती हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त भूमि दुरूस्ती कर जहॉ–जहॉ अराजीराज दर्ज है वहां–वहां वादगत भूमि वादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2ता4 के नाम 1/2 हिस्सा बहिब दर्ज करने की आज्ञा दी जाती हैं तथा चिर स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी जारी की जाती हैं कि प्रतिवादी खेत खसरा नम्बर 249 व 233 तादादी 6.32 हैक्टेयर मौजा रोही भोम मलकीसर से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे ना ही वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी करे ।

अतः तहसीलदार लूनकरनसर उक्त भूमि रिकॉर्ड में अराजीराज की जगह वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे। तदानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवा जाकर आज इजलास सुनाया गया।

(रामनाथ शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2023.02.13 15:33:59 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

रामचन्द्र आदि **बनाम सरकार**

दावा अंतर्गत धारा 88,89,92क,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :– 64 / 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादीगण वकील श्री लालचन्द जाट** , मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि ग्राम रोही भोम मलकीसर के खसरा नम्बर 233 तादादी 4.96 हैक्टेयर खसरा नम्बर 249 तादादी 1.36 हैक्टेयर कुल तादादी 6.32 हैक्टेयर के वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त भूमि दुरूस्ती कर जहॉ–जहॉ अराजीराज दर्ज है वहां–वहां वादगत भूमि वादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2ता4 के नाम 1/2 हिस्सा बहिब दर्ज करने की घोषणा की जाती हैं। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.10..**2022** को डिक्री जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2023.02.13 15:33:59 IST
Reason: SelfAttested

(रामनाथ शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर